

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय चंदेरी, जिला अशोकनगर, (म.प्र.)
(समक्ष – सैफी दाऊदी)**

**पुनरीक्षण क. 09 / 14
संस्थित दिनांक 28.01.2014**

1. आलोक तिवारी पुत्र श्री आनंदकुमार तिवारी
आयु 40 साल, निवासी रास गली चंदेरी
2. नीलेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री आनंद कुमार
तिवारी आयु 36 साल, निवासी रास गली चंदेरी
जिला अशोकनगर म.प्र.

----- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

1. रामदास पुत्र रत्तीलाल नामदेव, रिटा. पुलिस
दीवान, निवासी शनीचरा मंदिर के पास चंदेरी
जिला अशोकनगर म.प्र.
2. न्यायालय जे.एम.एफ.सी. चंदेरी में लंबित परिवाद
प्र.क. 54 / 2014 ई.फौ. रामदास विरुद्ध करनसिंह
आदि का प्रकरण।

----- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा	:— श्री इरदीश पठान अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा	:— श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—:: आदेश ::—

(आज दिनांक को पारित किया गया)

1- वर्तमान पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 399 दं.प्र.सं. 1973 पुनरीक्षणकर्ता ने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी श्री के.एन. अहिरवार द्वारा परिवाद प्रकरण क्रमांक 54 / 2014 में पारित आदेश दिनांक 22 / 01 / 2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिस आदेश द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध धारा 420 भादवि के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने का आदेश प्रदत्त किया गया है।

2. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3- विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी रामदास ने एक परिवाद पत्र पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध दिनांक 06.02.13 को इस आशय का प्रस्तुत किया था परिवादी ने सेवा निवृत्ति के पश्चात् ग्राम रामनगर पटवारी हल्का नंबर 43 पुराना हल्का नंबर 19 के दो हेक्टर कृषि भूमि पांच लाख बीस हजार रुपये में क्रय की थी, जिसका सर्वे नंबर 500/6 है। अभियुक्तगण की इसी सर्वे क्रमांक से लगी हुई कृषि भूमि जिसका सर्वे क्रमांक 282 एवं 283 और क्षेत्रफल 6.710 हे. है और सर्वे क्रमांक 500/6 और सर्वे क्रमांक 282 की भूमि के मध्य में दस फीट चौड़ा नाला है और अभियुक्तगण ने दुरुभि संधि कर अभियुक्त क्रमांक 3 एवं 4 से तहसील में ग्राम रामनगर की सर्वे क्रमांक 282 एवं 283 की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करवाया और अभियुक्त क्रमांक 1 एवं 2 ने जाली सीमांकन पंचनामा मौके पर सीमांकन किये बिना ही बना दिया और सर्वे क्रमांक 282, 283 और सर्वे क्रमांक 500/6 की भूमि के किसी भी भाग से लगी नहीं है और उनके मध्य 12 जरीव की दूरी है और मिथ्या रिपोर्ट तहसीलदार लिखकर दे दी।

4. अभियुक्तगण द्वारा धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 भादवि के अधीन आपराधिक कृत्य के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर संज्ञान लेने की प्रार्थना न्यायालय से किये जाने के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक साक्ष्य को अंकित किया और तत्पश्चात् पंजीयन तर्क श्रवण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में विचारण हेतु परिवाद पंजीबद्ध करने का आदेश दिनांक 22.01.14 को पारित किया है, उसी आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत की गयी है।

5- पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से वर्तमान पुनरीक्षण इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि पुनरीक्षणकर्तागण सीधे साधे व्यक्ति हैं और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने असत्य परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने निराधारी परिवाद का दर्ज किया है। पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा एक व्यवहार वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 श्री के.एन. अहिरवार के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है और जिसमें परिवादी/प्रत्यर्थी के विरुद्ध दिनांक 28.02.13 को स्थगन जारी किया है। अन्य विस्तृत अभिवचन समाहित कर पुनरीक्षण स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 54/14 फौजदारी में पारित पंजीयन आदेश दिनांक 22.01.14 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना न्यायालय से की गयी है।

6- विद्वान विचारण न्यायालय से आहुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7- आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अभिभाषक तथा परिवादी के विद्वान अभिभाषक को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत यह अवधारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं कि :-

—: अवधारणीय प्रश्न :—

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसके समक्ष परिवाद से उदभूत आपराधिक प्रकरण क्रमांक 54/14 रामदास बनाम करण सिंह में पारित पंजीयन आदेश दिनांकित 22.01.14 विधि विपरीत होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?
“यदि हां तो”

2. सहायता ।

—: साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष :—

अवधारणयी प्रश्न क्रमांक 1 :—

8- पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से अपना अवलंबन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं जय पत्र दिनांक 28.02.13 तथा इस प्रकरण 02ए/13 ई.दी. की आदेश पत्रिका दिनांक 15.01.14 अक्ष नक्शा तथा न्याय दृष्टांत इन्दर मोहन गोस्वामी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तरांचल निर्णय दिनांक 09 अक्टूबर 2007 तथा एस.डब्ल्यू पलनीतकर और अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2002“1” काइम्स 146 “एस.सी.” तथा एन.के. चटर्जी और अन्य बनाम एस.एस. मुखर्जी और अन्य 1990 जे एल जे 189 तथा लक्ष्मण बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 1989 जे एल जे 653 पर अवलंबित कर पुनरीक्षण मेमो में अभिवाचित तथ्यों पर अवलंबित किया है जबकि प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा तथा पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा कराये गये सीमांकन प्रतिवेदनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभी पुनरीक्षणकर्तागण न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुए हैं, जब उनके विरुद्ध आरोप की विरचना होवे तब वह अपनी प्रतिरक्षा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

9- विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि उभयपक्ष के मध्य विद्यमान विवाद के संबंध में दिनांक 11.12.12 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार परगना चंदेरी के समक्ष प्रस्तुत किया तत्पश्चात् दिनांक 07.01.13 को एक और सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 11.12.12 के प्रतिवेदन अनुसार राजनगर स्थित सर्वे क्रमांक 500/6 की भूमि का सीमांकन करते हुए मौके पर उसे रामदास के समक्ष सीमांकन करते हुए रसीद दिनांक 07.12.12 अभिलिखित की गयी जिस पर रामदास ने कोई आपत्ति नहीं होना अभिलिखित किया। दिनांक 07.01.13 के प्रतिवेदन द्वारा सर्वे क्रमांक 282 एवं 283 की भूमि का सीमांकन किया गया और इन भूमियों को सर्वे क्रमांक 500/6 से लगी हुई नहीं होना अभिलिखित किया गया है।

10- विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह भी प्रकट हो रहा है कि उभयपक्ष के मध्य सिविल विवाद होने से रामदास ने वादी की हैसियत में पुनरीक्षणकर्ता गण के विरुद्ध व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 चंदेरी के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 02ए/13 ई.दी. प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 27.07.13 को सिविल न्यायालय ने रामनगर स्थित सर्वे क्रमांक 500/6 रकवा 2.000 हे की स्पष्ट सीमाओं सहित मौके पर उसकी वास्तविक स्थिति का विवरण और सर्वे क्रमांक 500/6 की भूमि से सर्वे क्रमांक 282 एवं 283 की दूरी व मौके पर उसकी वास्तविक

स्थिति बाबत स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक वृत्त चंदेरी को कमिश्नर नियुक्त करते हुए आहूत किया था और उस व्यवहार वाद में दिनांक 23.09.13 को राजस्व निरीक्षक वृत्त चंदेरी ने सिविल न्यायालय के समक्ष कमिश्नर रिपोर्ट पंचनामा सहित प्रस्तुत की। इस कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 23.09.13 पर राजस्व निरीक्षक की पद मुद्रा के उपर अंकित हस्ताक्षर और दिनांक 07.01.13 के प्रतिवेदन पर मौजूद राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर एकसमान नहीं होकर अलग अलग होना प्रकट हो रहे हैं।

11- तब ऐसी स्थिति में यह प्रकट है कि पूर्ववर्ती सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार को प्रस्तुत करने वाला राजस्व निरीक्षक और सिविल न्यायालय के आदेश के पालन में कमिश्नर के रूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला राजस्व निरीक्षक एक ही व्यक्ति नहीं होकर दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दो अलग-अलग राजस्व निरीक्षक द्वारा अलग-अलग समय पर बनाये गये सीमांकन प्रतिवेदन में यह तथ्य तो प्रकट किया गया है कि उभयपक्ष की भूमियों के मध्य एक अंतर विद्यमान होकर दोनों पक्षों की भूमि आपस में जुड़ी हुई नहीं है।

12- दोनों सीमांकन प्रतिवेदनों में उभयपक्ष के मध्य उनकी भूमियों के दूरी का अंतर इस दृष्टिकोण से महत्वहीन हो जाता है कि सिविल न्यायालय के आदेश के पालन में कमिश्नर द्वारा किया गया सीमांकन पंचनामा के अधीन पंचों की उपस्थिति में किया सीमांकन है। प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा उसके पंचनामा में रामनगर स्थिति सर्वे क्रमांक 500/6 रकवा 2 हे. तथा सर्वे क्रमांक 282 के बिंदू क्रमांक बी से दूरी 21 जरीब 40 कड़ी और बिंदू सी से 14 जरीब 40 कड़ी होना और इन दोनों भूमियों के मध्य सर्वे क्रमांक 498 की शासकीय भूमि विद्यमान होना अंकित किया गया है। अर्थात् आक्षेपित भूमियों के मध्य सर्वे क्रमांक 498 की शासकीय भूमि विद्यमान है।

13- यह सीमांकन सिविल न्यायालय के आदेश के अधीन कोर्ट कमिश्नर द्वारा किया गया सीमांकन है और यह कमिश्नर स्वयं की प्रास्थिति में न्यायालय का ऑफीसर होकर उसकी कोई हितबद्धता अथवा विद्वेष उभयपक्ष से प्रकट नहीं है और उसके द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में उभयपक्ष की भूमियों में उसके द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन अनुसार दूरी विद्यमान है, जो इस तथ्य को प्रकट करती है कि उभयपक्ष की भूमियां आपस में जुड़ी हुई नहीं है और यही तथ्य पुनरीक्षणकर्तागण क्रमांक 1 एवं 2 बनाये गये प्रतिवेदन में भी प्रकट किया गया है।

14- स्वयं रामदास नामवेद के हित में नरेन्द्र कुमार द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की अंतर्वस्तु सर्वे क्रमांक 500/6 रकवा 2 हे. भूमि के चतुर्थ सीमा के संबंध में मौन है जिससे भी यह प्रकट नहीं है कि उभयपक्ष की भूमियां आपस में सटी हुई हैं। पुनरीक्षण संलग्न दस्तावेजों में पुनरीक्षणकर्तागण ने उभयपक्ष के भूमियों की स्थिति को दर्शित करने हेतु ग्राम रामनगर की भूमियों के संबंध में ट्रेस नक्शा की सत्य प्रतियां प्रस्तुत की हैं, जिसमें सर्वे क्रमांक 282, 283 तथा सर्वे क्रमांक 500/6 के मध्य सर्वे क्रमांक 498 की भूमि विद्यमान होना प्रकट है। उक्त दस्तावेज राजस्व अभिलेख होकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानांतर्गत उनकी सत्यता की उपधारणा तब तक की जायेगी जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता और अभिलेख पर राजस्व ट्रेस नक्शा की अंतर्वस्तुओं की सत्यता को खंडित करने हेतु दृढ़ साक्ष्य का अभाव है।

15- यह सत्य है कि अभियुक्तगण विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं और उनके समक्ष उपस्थित होने के पूर्व ही उन्हें अपनी प्रतिरक्षा करने कोई अधिकार नहीं है, किन्तु वर्तमान याचिका पुनरीक्षण याचिका है और पुनरीक्षण की कोटि अपील की कोटि अधिक विस्तृत है और पुनरीक्षण निम्नांकित किसी भी एक परिस्थिति में किसी भी प्रक्रम पर की जा सकती है:-

1. जहां कि विधि की कोई सारवान भूल कारित कर दी गयी है।
2. जहां कि मजिस्ट्रेट ने उसे प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता का उपयोग विधि अनुकूल रूप से नहीं किया है या
3. जहां कि मजिस्ट्रेट ने उसे प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के बाहर जाकर शक्ति परास्त या शक्ति बाह्य कार्य कर दिया है।

16- **भारतीय दंड संहिता की धारा 415** छल को परिभाषित करती है जिसके आवश्यक मर्मभूत तत्व कपटपूर्वक प्रवंचना और यह प्रवंचना अन्य व्यक्ति को संपत्ति या सम्मति देने या प्रदत्त करने हेतु या कोई कार्य करने हेतु बेईमानीपूर्वक उत्प्रेरित किया जाना है और अभिलेख से उक्त तथ्यों का अभियुक्तगण के विरुद्ध उस दशा में अस्तित्वान होना प्रकट नहीं है, जहां कि उभयपक्ष की भूमियों के मध्य राजस्व अभिलेख ट्रेस नक्शा अनुसार सर्वे क्रमांक 498 की भूमि विद्यमान होना प्रकट हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्तागण प्रत्यर्थी के संबंध में कोई छल कारित किये जाने का तथ्य भी प्रकट नहीं होता। तब उनके विरुद्ध धारा 420 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में संज्ञान लेने का भी कोई आधार परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर उत्पन्न ही नहीं होता।

17- **तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 203 इसी संहिता की धारा 204** के पूर्व ही आकर्षित हो जाती है और जहां विद्वान विचारण न्यायालय ने धारा 203 दं प्रसं के आकर्षित होने के तथ्य पर विचार किये बिना ही प्रस्तुत परिवाद को पुनरीक्षणकर्तागण के पंजीबद्ध कर आदेशिका जारी करने का आदेश प्रदत्त किया गया है, वह प्रथम दृष्टया ही विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधि की सारवान कारित की गयी त्रुटि है और ऐसी स्थिति में पुनरीक्षणकर्तागण को उनके विरुद्ध आरोप की विरचना के समय सुने जाने तक पुनरीक्षणकर्तागण को विधि की ऐसी प्रक्रिया का सामना करने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है, जो कि स्वयं विधि की दृष्टि में न्यायोचित और विधि अनुकूल नहीं है और ऐसी त्रुटि को पुनरीक्षण द्वारा परिवाद पंजीयन के प्रक्रम पर ही संधारण किया जा सकता है।

18- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 चंदेरी ने व्यवहार वाद क्रमांक 08ए/13 जो कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी रामदास के विरुद्ध प्रस्तुत वाद रहा है, में भी प्रत्यर्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थित की थी जो स्वीकार कर प्रत्यर्थी को अस्थायी निषेधित किया गया।

19- इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद 52ए/16 व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.17 द्वारा प्रमाणित नहीं होने से नामंजूर कर दिया गया है। तब ऐसी स्थिति में दांडिक न्यायालय द्वारा परिवाद क्रमांक 54/14 में पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध परिवाद को धारा 420 भादवि में पंजीबद्ध किये जाने के संबंध में विद्वान विचारण

न्यायालय ने इस तथ्य पर विधिक रूप से कोई विचार ही नहीं किया है कि पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिये जाने हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के कौनसे अवयव आकर्षित हुए हैं ?

अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :-

20- जहां पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध अपराध का संज्ञान किये जाने में विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि अनुकूल रूप से विधि के तथ्यों पर गौर किये बिना ही विधि की सारवान त्रुटि कारित कर पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध धारा 420 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में अपराध का संज्ञान कर लिया है, वहां यह त्रुटि विधिक रूप से कारित सारवान त्रुटि होकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिये जाने का आदेश दिनांक 22.01.14 अपास्त किया जाता है और इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वह उक्त आदेश के प्रकाश में उक्त लंबित परिवाद के संबंध में विधि अनुकूल आदेश अभिलिखित कर परिवाद का निराकरण करें।

21. मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को आदेश की प्रति सहित वापस लौटाया जाये।

22. तदनुसार पुनरीक्षण निराकृत की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया
गया।

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर ,
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश ,
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
अशोकनगर (म.प्र.)
दिनांक— 24.02.18

(सैफी दाऊदी)

प्र.अ. सत्र न्यायाधीश अशोकनगर
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश
श्रंखला न्यायालय चंदेरी
अशोकनगर (म.प्र.)